

नीलाम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत सहारनपुर की स्वाभिमानी वाली विभिन्न सडक सहारनपुर से चिलकाना मार्ग पर 49 वृक्ष व सडक गागलहेडी से भगवानपुर मार्ग पर 42 वृक्ष, एवं कन्या पाठशाला, लण्डोरा जुनारदार की जोत भूमि खसरा नं० 212 में 53 वृक्ष व खसरा नं० 46 में 26 वृक्षों का सार्वजनिक नीलाम सभाकक्ष जिला पंचायत सहारनपुर में दिनांक 03.06.2016 को दोपहर 12:00 बजे किया जायेगा। बोलीदाता को नीलाम से पूर्व अंकन 1,00,000-00 रु० की एफ०डी०आर० जो अपर मुख्य अधिकारी के पदनाम पर बन्धक होगी, धरोहर के रूप में जमा करनी होगी तथा अपना चरित्र प्रमाण पत्र जो जिलाधिकारी, महोदय स्वयं के हस्ताक्षर से निर्गत हो कि प्रमाणित छाया प्रति नीलाम समिति के समक्ष नीलाम से पूर्व प्रस्तुत करनी होगी। जिस बोलीदाता के नाम नीलाम छोड़ा जायेगा, उसकी जमानत को छोड़कर शेष बोलीदाता की एफ०डी०आर० वापस कर दी जायेगी। यदि नीलाम में उचित बोली प्राप्त नहीं होती है तो उक्त नीलाम यथा समय व स्थान पर प्रत्येक सोमवार को नीलाम सम्पन्न होने तक किया जायेगा। उक्त नीलाम सूचना शासकीय वेबसाईट www.saharanpur.nic.in पर प्रदर्शित की गयी है। अन्य शर्तें कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में देखी व पढ़ी जा सकती हैं।

अभियन्ता

जिला पंचायत,सहारनपुर

कार्यालय

जिला

पंचायत,

सहारनपुर

पत्रांक 353 / जि०प० / तरू / 2016-17

दिनांक:- 19/5/16

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विज्ञापन संपादक ई.एम. उमर उमर एवं ई.एम. जाली, सहारनपुर को इस आशय से कि उपरोक्त सूचना अपने समाचार पत्र में कम से कम स्थान में तथा लघुतम अक्षरों में साईज 8×5 सेन्टीमीटर में छपवाकर बिल समाचार पत्रों की दो प्रतियों सहित भुगतान हेतु इस कार्यालय में यथा शीघ्र प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
2. जनपद न्यायाधीश, सहारनपुर के नोटिस बोर्ड पर चरपा करने हेतु।
3. जिलाधिकारी महोदय सहारनपुर के नोटिस बोर्ड पर चरपा करने हेतु।
4. मा०अध्यक्ष, जिला पंचायत सहारनपुर की सेवा में अवलोकनार्थ।
5. मुख्य विकास अधिकारी / मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, सहारनपुर।
6. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, सहारनपुर।
7. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग सहारनपुर।
8. कार्य अधिकारी / अभियन्ता / वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत सहारनपुर सदस्य नीलाम समिति।
9. कैशियर जिला पंचायत सहारनपुर को इस निर्देश के साथ कि नीलाम में भाग लेने वाले बोलीदाताओं से जमानत जमा करेगे।
10. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चरपा करने हेतु।

अभियन्ता

जिला पंचायत,सहारनपुर